न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 88/2018

पाल सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

दिनांक :31/12/18

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी चक 6एमडी तहसील अनूपगढ का रहने वाला है। चक 16एस के मु0 नं0 14 में 12बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज है। बंटवारा में प्रार्थी को 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि हिस्सा में है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बाल सिंह दर्ज है जबकि सही नाम पाल सिंह है। अन्य दस्तावेजों में पाल सिंह नाम दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बाल सिंह के स्थान पर पाल सिंह करने की कृपा करे। सरपंच ग्राम पंचायत 14एस मांझीवाला के द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि बाल सिंह व पाल सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। इन्हें दोनो नामों से पुकारा जाता है। गांव में भी बाल सिंह व पाल सिंह दोनो नाम से जाना जाता है। पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट अंकित की गयी कि बाल सिंह व पाल सिंह एक ही व्यक्ति है। मु0 नं0 14 में बाल सिंह, लाल सिंह , कश्मीर सिंह , बलवीर सिंह पिसरान रूबेल सिंह के नाम 3.162 है0 भूमि दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अपने पृष्ठांकन क्रमांक 1 दिनांक 26.05.18 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज शुद्धि हेतु भिजवाये गये।

प्राप्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया सहखातेदारों का जरिये नोटिस तलब किया गया। सहखातेदार लालसिह पुत्र रवेलसिह, कश्मीर सिह पुत्र रवेलसिह, सुखदेव सिह पुत्र बलवीर सिह, गुरदेव सिह पुत्र बलवीर सिह, बलवीरो बाई पत्नी बलवीर सिह उपस्थित आये सभी के बयान लिखे गये। सभी सहखातेदारो के द्वारा अपने ब्यानो ने जाहिर किया कि बालसिह पुत्र रवेलसिह व पाल सिह पुत्र रवेलसिह एक ही व्यक्ति है। चक 16 एस कि जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 70/66 के मु.नं. 14 मे सहखातेदार बालसिह पुत्र रवेलसिह का नाम दुरूस्त कर बालसिह उर्फ पाल सिह पुत्र रवेलसिह किया जावे तो हमे कोई आपति नही है। नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी एवं सहखातेदारो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चक 16एस की जमाबंदी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 70/66 के मु0 नं0 14 की कुल 3.162 है0 नहरी भूमि में प्रार्थी का नाम बाल सिंह पुत्र रूबेल उर्फ रूलिया सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र में नाम पाल सिंह पुत्र रूबेल सिंह अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत 14एस मांझीवाला के द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी को गांव में बाल सिंह व पाल सिंह दोनो नामों से जाना जाता है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। सहखातेदारो के द्वारा अपने ब्यानो में भी इस बात की पुष्टि कीं है कि बालसिह पुत्र रवेलसिह व पाल सिह पुत्र रवेलसिह एक ही व्यक्ति है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत 14एस मांझीवाला व पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16एस की जमाबंदी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 70/66 में अंकित नाम बाल सिंह पुत्र रूबेल सिंह के स्थान पर बाल सिंह उर्फ पाल सिंह पुत्र रूबेल उर्फ रूलिया सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

रिकार्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन बदस्तूर रहेगें। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3[illegible]/4/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) *
सत्यमेव जयते

{रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner